झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषय :- झारखण्ड राज्य के सभी विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं में मध्याह्न भोजन योजना संचालन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के अधिकार एवं कर्तव्यों का पुनर्निर्धारण की स्वीकृति।

झारखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित सभी सरकारी प्रारंभिक, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों में नामांकित वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 के छात्र/छात्राओं को मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत पका भोजन जिसमें क्रमशः 480 कैलोरी एवं 720 कैलोरी तथा 13 ग्राम प्रोटिन एवं 20-21 ग्राम प्रोटिन की मात्रा उपलब्ध हो, वितरित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं का ससमय पौष्टिक एवं ताजा भोजन प्राप्त हो सके, इसकी तैयारी एवं स्वच्छता का रख-रखाव के लिए विद्यालय स्तर पर विभागीय संकल्प संख्या पत्रांक नि0प्रा0(को0) 18/01-2029 दिनांक 14.08.2003 के द्वारा तथा अनुवर्ती आदेश/निदेश द्वारा 'सरस्वती वाहिनी' के माध्यमं से मध्याह्न भोजन योजना संचालित किया जा रहा है। सरस्वती वाहिनी ग्राम शिक्षा समिति की एक उप समिति है एवं उप समिति के भी सदस्य होते हैं। योजना का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है।

संकल्प संख्या नि0प्रा0(को0) 18/01-2029 दिनांक 14.08.2003 के प्रभावी होने के पश्चात् राज्य के भीतर प्रारंभिक विद्यालयों में उल्लेखनीय स्थानिक और संख्यात्मक विस्तार हुआ है। साथ ही झारखण्ड राज्य में दिनांक 01.04.2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू है। उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत् राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना निम्नवत् है :-

1. विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षो का होगा। तीन वर्षो की अवधि पूर्ण होने पर समिति का पुनर्गठन किया जायेगा।
2. विद्यालय प्रबंध समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी जिसमें 75 प्रतिशत अर्थात् 12 सदस्य छात्र-छात्राओं के माता-पिता या अभिभावकों में से होंगे।

Scanned with Cam

इन 12 सदस्यों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के माता-पिता को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा तथा 12 सदस्यों में से न्यूनतम 6 सदस्य महिला होगी।

3. उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष 25 प्रतिशत अर्थात् 4 निम्नवत् होंगे –

   a. स्थानीय प्राधिकार के एक निर्वाचित सदस्य।
   b. विद्यालय का एक शिक्षक जिसका चयन विद्यालय के शिक्षक द्वारा किया जायेगा।
   c. विद्यालय की बाल संसद के एक प्रतिनिधि।
   d. विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक/ वरिष्ठतम शिक्षक

4. उक्त समिति द्वारा माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन किया जायेगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक/ वरिष्ठतम शिक्षक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे।

इस प्रकार राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में दो समितियां एवं एक उप समिति कार्य कर रही है एवं तीन बैंक खाते संचालित हो रहे हैं। ग्राम शिक्षा समिति का बैंक खाता समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधान शिक्षक के हस्ताक्षर से, विद्यालय प्रबंध समिति का बैंक खाता समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधान शिक्षक के हस्ताक्षर से तथा सरस्वती वाहिनी का बैंक खाता ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सरस्वती वाहिनी के संयोजिका द्वारा संचालित हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया गया। ग्राम शिक्षा समिति के बैंक खाते में अब सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत किसी प्रकार की राशि हस्तांतरित नहीं की जाती है। मात्र पूर्व में जो राशि उपलब्ध करायी गई थी उसी की बची राशि या अपूर्ण योजनाओं की राशि उपलब्ध है, जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना है। इस समिति को विघटित नहीं करने का मुख्य कारण इसके अध्यक्ष एवं महिला माता सदस्यों में से एक को संयोजिका होना है जो मध्याह्न भोजन योजना संचालित करती है।

वर्णित स्थिति में तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधान के आधार पर विद्यालय स्तर पर हस्तक्षेप एवं योजनाओं के सुसंगठित तथा सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 2029 दिनांक 14.08.03 को विलोपित करते हुए सरकार ने निम्नवत् निर्णय लिया है :-

Scanned with Cam

1. विद्यालय स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना, स्वरूप, गठन, कार्यकाल आदि विभागीय पत्रांक 110 दिनांक 17.01.2011 के अनुरूप होगी।

2. (क). विद्यालय प्रबंध समिति की एक उप समिति होगी, जो सरस्वती वाहिनी संचालन समिति कहलायेगी। इस समिति में विद्यालय प्रबंध समिति की सभी महिला सदस्या, विद्यालय के प्रधान शिक्षक एवं अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे। सरस्वती वाहिनी संचालन समिति आवश्यकतानुसार कर्मठ/ लगनशील अभिभावक माताओं को सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के सदस्य रूप में जोड़ सकती है।

(ख). सरस्वती वाहिनी संचालन समिति अपने सदस्यों में से एक संयोजिका एवं एक उप संयोजिका चुन सकेंगी जो विद्यालय प्रबंध समिति की भी सदस्य होंगी ताकि वे विद्यालय प्रबंध समिति के संपर्क में रहकर मध्याह्न भोजन योजना को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित कर सकें। सरस्वती वाहिनी संचालन समिति विद्यालय में छात्र-छात्राओं के नामांकन के अनुरूप पाककला में निपुण एवं संयमशील सदस्य माताओं को निम्न रूप से पके हुए भोजन की तैयारी एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु चयनित कर सकेगी :-

i. 25 औसत छात्र/छात्राओं की उपस्थिति संख्या पर - एक सदस्य माताएँ (रसोईया)

ii. 26 से 100 औसत छात्र/छात्राओं की उपस्थिति संख्या पर - दो सदस्य माताएँ (रसोईया)

iii. 101 या उससे अधिक औसत छात्र/छात्राओं की उपस्थिति संख्या पर प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्र-छात्राओं पर एक अतिरिक्त सदस्य माताएँ (रसोईया)

(ग). सरस्वती वाहिनी संचालन समिति मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के अतिरिक्त अपने क्षेत्र में बालक/ बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए माताओं से संपर्क कर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी। सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के सदस्यों से सरकार की यह अपेक्षा रहेगी कि वाहिनी के सभी सदस्य निःस्वार्थ पक्षपातहीन एवं संपूर्ण निष्ठा की भावना से समिति के साथ जुड़ी रहेंगी तथा शत-प्रतिशत नामांकन, छात्र/छात्राओं के

Scanned with Cam

ठहराव एवं विद्यालय के विकास हेतु विद्यालय प्रबंध समिति, सरकार एवं समुदाय को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी।

(घ). रसोईया का मानदेय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं तद्नुसार रसोईया का मानदेय भुगतान किया जायेगा। रसोईया की सेवा पूर्णतः अस्थायी एवं आवश्यकता आधारित होगी।

(ङ). **वित्तीय प्रबंधन :-**

i. राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में सरस्वती वाहिनी के नाम बैंक खाता संधारित है जिसमें मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु राशि हस्तांतरित/ जमा की जाती है। अतः इस बैंक खाता का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के संयोजिका के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

ii. मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में हस्तांतरित की जाएगी और इसके लिए एक अलग रोकड़ पंजी पूर्ववत् संधारित किया जायेगा।

iii. मध्याह्न भोजन से संबंधित आय-व्यय के सभी ब्यौरे का संधारण विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सरस्वती वाहिनी संचालन समिति की संयोजिका के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

iv. पके भोजन की तैयारी के लिए वाहिनी को चुनाई एवं पिसाई, परिवहन व्यय, एवं आकस्मिक व्यय तथा जलावन के लिए प्रति माह राशि पूर्ववत् उपलब्ध करायी जाएगी।

3. ग्राम शिक्षा समिति के नाम संधारित बैंक खाता का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव (विद्यालय के प्रधान शिक्षक) के द्वारा किया जायेगा एवं ग्राम शिक्षा समिति के बैंक खाते में जमा राशि का लेखा-जोखा उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि का निस्तार हो जाने पर ग्राम शिक्षा समिति का बैंक खाता बंद कर दिया जायेगा।

4. पोषक तत्व/ औषधियां :- विद्यालय में नामांकित 1 से 5 एवं 6 से 8 वर्ग के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के क्रम में विद्यालयों में उपस्थिति एवं ठहराव की दर में वृद्धि के साथ-साथ कुपोषण की समस्या का भी पर्याप्त समाधान किये जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कृमि रोग नाशक गोलियां/ आयरन की गोलियां एवं

Scanned with Cam

रतौंधी जैसे रोग पर नियंत्रण हेतु विटामिन 'ए' की गोलियां आवश्यकतानुसार विद्यालयों में आपूर्ति करने का दायित्व प्रखण्ड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आपसी समन्वय के आधार पर होगी। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ससमय औषधियों/ पोषक तत्वों की आपूर्ति जिलान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रबंधन एवं अनुश्रवण :-

i. राज्य/ जिला/ प्रखण्ड स्तर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा समन्वयित रूप से खाद्यान्न का एफ0सी0आई0 से उठाव एवं वितरण का अनुश्रवण तथा नमक, तेल, मसाला एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था तथा योजना के समुचित रूप से क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा।

ii. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण तथा जिले के उपायुक्त योजना का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। बर्तन, तराजू, गैस, तेल आदि सामग्री की क्रय की व्यवस्था, गैस की आपूर्ति का सतत् पर्यवेक्षण/ समन्वय/ अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

iii. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण मध्याह्न भोजन योजना का एक मेनू निर्गत करेंगे जो झारखण्ड राज्य के खाने की पारम्परिक रूचि में एक सर्वग्राह्य, स्वास्थ्य-वर्धक, सुपाच्य एवं पौष्टिक आहार के रूप में हो। ऋतु परिवर्तन के फलस्वरूप रूचि में बदलाव आने की स्थिति में भोजन के स्वरूप में बदलाव लाया जा सकेगा, जो वित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत होगा।

iv. प्रखण्ड स्तर पर अंचलाधिकारी/ प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए पाकशाला का निर्माण, प्रत्येक पाकशाला तक पानी की व्यवस्था, योजना एवं संचालन का अनुश्रवण करना, गैस की आपूर्ति में सहयोग, बर्तन/ गैस स्टोव/ तराजू आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना, खाद्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करना, खाद्यान्न का उठाव एवं सभी सरस्वती वाहिनी संचालन

समितियों तक इसका वितरण तथा जिला को उपयोगिता प्रमाण ससमय उपलब्ध करने का दायित्व निर्वाह करेंगे।

v. विद्यालय स्तर पर सरस्वती वाहिनी संचालन समिति का दायित्व :-

a. खाद्यान्न उठाव कर विद्यालय में सुरक्षित रखना।

b. पाकशाला को नियमित स्वच्छ एवं साफ रखने की व्यवस्था करना।

c. खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था करना एवं सुरक्षित रूप से संधारित करना।

d. खाद्य सामग्रियां ताजी, शुद्ध एवं ब्रांडेड हो यह सुनिश्चित करना।

e. बर्तन, गैस स्टोव आदि सामान सुरक्षित रखना, प्रखण्ड स्तर से गैस की आपूर्ति की निरन्तरता हेतु समन्वय/ संपर्क बनाये रखना।

f. बच्चों को ससमय पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।

g. विद्यालयों के दिनवार बच्चों की दैनिक उपस्थिति दर्शाते हुए प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना।

h. विद्यालय स्वच्छता एवं गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।

6. विद्यालय के शिक्षकों का दायित्व :-

a. विद्यालय के प्रधान शिक्षक/ सहायक शिक्षक एतद संबंधी एक पंजी बच्चों की वास्तविक संख्या विद्यालय प्रारंभ होने के एक घंटा के भीतर सरस्वती वाहिनी संचालन समिति को उपलब्ध करायेंगे।

b. बच्चों को भोजन के वितरण - व्यवस्था का पर्यवेक्षण एवं सुरक्षित रूप से भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

c. बच्चों को सफाई के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा विद्यालय परिसर, वर्ग कक्ष, शौचालय आदि का सतत् साफ-सफाई सुनिश्चित करेंगे।

d. समय-समय पर आवश्यक औषधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

e. अनाज के भण्डारण में सरस्वती वाहिनी संचालन समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

f. क्रमबद्ध भोजन वितरण के क्रम में बाल संसद के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

g. बाल संसद के सदस्य भोजन के पूर्व प्रत्येक छात्र-छात्रा को हाथ धुलाने का कार्य शिक्षकों के देख-रेख में सुनिश्चित करेंगे।

7. **औषधि की व्यवस्था एवं वितरण :-**

a. उपायुक्त/ मुख्य असैनिक शल्य चिकित्सक एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कृमि रोग नाशक गोलियां, विटामिन की गोलियां एवं कुपोषण से बचाव हेतु अन्य दवाईयों की व्यवस्था एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक वितरण की व्यवस्था की जाएगी।

b. प्रखण्ड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कुपोषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विभिन्न दवाईयों की प्राप्ति एवं वितरण का कार्य संपादित किया जायेगा।

8. **प्रशिक्षण :-** मध्याह्न भोजन योजना के समुचित रूप से संचालन हेतु समय-समय पर योजना से जुड़े व्यक्ति/ कर्मी/ पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/ कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस निमित्त योजना के अनुश्रवण, प्रबंधन एवं मूल्यांकन मद में से राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का कोषांग का गठन किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये।

9.6.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक प्रा०शि०नि०/को०/18/01-917 (स्वच्छता) राँची, दिनांक 9/6/2016

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 600 प्रतियाँ अविलंब मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

9.6.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक प्रा०शि०नि०/को०/18/01-917 (स्वच्छता) राँची, दिनांक 9/6/2016

प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ संबंधित सभी कोषागार/ उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.6.16

(आराधना पटनायक)

Scanned with Cam

ज्ञापांक : प्रा०शि०नि०/18/01-917
(अनुभाग-III)

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक 9/6/2016

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/ माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड के सचिव/ झारखण्ड सरकार के सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव /सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त /सभी उपायुक्त/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ एम०डी०एम० के प्रभारी उप निदेशक/ लेखा शाखा, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं झा.रा.म.भो. प्रा., राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9.6.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक प्रा०शि०नि०/18/01-917
(अनुभाग-III)

राँची, दिनांक 9/6/2016

प्रतिलिपि- निदेशक, एम.डी.एम., मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

8/06/16

9.6.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 301 /MDM, दिनांक: 16-06-16

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक, राँची-1,2 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

16/6/16

16/6/16

(जयन्त कुमार मिश्र)
जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची